साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-21

बिहार सरकार का उपक्रम

CIN No. U40109BR2012SGC018890

संकल्प संख्या......334....................................../ दिनांक ......27/04/24......./

SB-II/BHG-Adt.-11908/2022

श्री अभिषेक कुमार, तदेन सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर सम्प्रति सहायक कार्यपालक अभियंता, लाईन अनुरक्षण, संचरण प्रमंडल, भागलपुर का विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर के पदस्थापन अवधि में वर्ष 2019–20 के NIC क्षेत्र में उपभोक्ताओं के खातों में अनुचित Adjustment कर कंपनी को गंभीर राजस्व क्षति पहुँचाने के आरोपों के लिए कंपनी के का0आ0सं0–1164 दिनांक 13.10.2022 द्वारा निलंबित करते हुए मुख्यालय विद्युत आपूर्ति अंचल, औरंगाबाद निर्धारित किया गया।

तदोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध निम्न आरोपों के लिए संकल्प संख्या 838 दिनांक 18.11.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसमें श्री अविनाश सिंह, विद्युत अधीक्षण अभियंता (भंडार), कंपनी मुख्यालय, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया :–

श्री कुमार द्वारा सहायक विद्युत अभियंता, बिहपुर के रूप में पदस्थापन अवधि में वर्ष 2019–20 के NIC क्षेत्र में उपभोक्ताओं के खातों में अनुचित Adjustmemt कर कंपनी को गंभीर राजस्व की क्षति पहुँचाई गई।

(1) विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, नवगछिया का वर्ष 2019–20 का किये गये विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाया गया कि इनके द्वारा 168 अद्द वैसे उपभोक्ताओं के खाते में रू0 49,12,689/– का समायोजन किया गया जिनका पूर्व में निर्गत विपत्र उचित था एवं उसमें समायोजन की कोई आवश्यकता नहीं थी।

इस प्रकार इनके द्वारा अनियमितता बरतते हुये कंपनी को गंभीर राजस्व की क्षति पहुँचाई गई।

(2) श्री कुमार द्वारा 90 अद्द वैसे उपभोक्ताओं के खाते में रू0 32,96,276/– का समायोजन किया गया जिसमें महज रू0 05,13,848/– के समायोजन प्रदान करने की आवश्यकता थी। कंपनी के स्थापित नियमों की अनदेखी कर उपभोक्ताओं का रू0 27,82,428/– का अनियमित समायोजन कर कंपनी को गंभीर राजस्व की क्षति पहुँचाई गई।

कालान्तर में कंपनी के का0आ0सं0–1459 दिनांक 02.12.2022 द्वारा श्री कुमार को निलंबन मुक्त किया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही की जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर पत्रांक–451 दिनांक 31.03.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा श्री अभिषेक कुमार के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया।

जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप संख्या–01 एवं 02 के लिए कंपनी के संकल्प संख्या– 365 दिनांक 27.04.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

Arjun Singh

श्री कुमार द्वारा अपने पत्रांक 31 दिनांक 09.05.2023 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

चूँकि इस मामले में आंतरिक अंकेक्षण विभाग द्वारा समर्पित विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 05/2022–23 में यह उल्लेख किया गया था कि इस मामले की अग्रत्तर जाँच में राजस्व हानि में वृद्धि संभावित है, अतएव उक्त को दृष्टिगत रखते हुए श्री अभिषेक कुमार, सहायक विद्युत अभियंता के पूरे पदस्थापन अवधि का विशेष जाँच कराया गया। क्रमागत जाँच में राजस्व हानि की राशि व्यापक रूप से विस्तारित पाई गई।

श्री कुमार, सहायक विद्युत अभियंता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब एवं अन्य उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक् समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चूँकि अग्रत्तर जाँच में राजस्व क्षति व्यापक रूप से विस्तारित हो गई है, अतएव उक्त के फलस्वरूप संकल्प संख्या 838 दिनांक 18.11.22 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को इसी स्तर पर आस्थगित (Kept in abeyance) रखे जाने एवं अतिरिक्त पाये गये अनुचित समायोजन के मामले में पृथक रूप से विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त के फलस्वरूप श्री अभिषेक कुमार, तदेन सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर सम्प्रति सहायक कार्यपालक अभियंता, लाईन अनुरक्षण, संचरण प्रमंडल, भागलपुर के विरूद्ध निम्न आरोपों के लिए संकल्प संख्या 1002 दिनांक 05.12.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री सुनील कुमार झा, सेवानिवृत उप विकास आयुक्त को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया :–

(1) विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर अन्तर्गत विद्युत विपत्र में अनुचित समायोजन का विस्तृत जाँच करया गया। SEITRA Billing Software में उपलब्ध उपभोक्ताओं का Billing Data का विष्लेषण/जाँच में पाया गया कि उपर्युक्त वर्णित राजस्व क्षति की राशि के अलावा वित्तीय वर्ष 2019–20 में अन्य 3233 उपभोक्ताओं के विपत्र में भी अनुचित समायोजन किया गया है। अधिकांश उपभोक्ताओं के विद्युत विपत्र में Reading update, MD Adjustment, Wrong Unit अभियुक्ति देकर अनुचित Manual Adjustment श्री अभिषेक कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर द्वारा किया गया है। LK Adjustment Billing System (SEITRA) द्वारा स्वतः दिया जाता है परन्तु श्री कुमार द्वारा LK Adjustment के नाम पर भी Manual Adjustment किया गया। कुल 3233 उपभोक्ताओं के विद्युत विपत्र में कुल रू0 2,91,95,486/– का अनुचित समायोजन कर कंपनी को गम्भीर राजस्व क्षति पहुँचाई गई है।

श्री कुमार, सहायक विद्युत अभियंता के रूप में अपने पद का दुरूपयोग करते हुए तथा उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचाते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त रहें। उनके भ्रष्ट आचरण के कारण कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019–20 में राजस्व की गम्भीर क्षति हुई है।

(2) विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपभोक्ताओं के विद्युत विपत्र में बड़े पैमाने पर अनुचित समायोजन के उदभेदित मामले में वित्तीय वर्ष 2018–19 से दिनांक 23.05.2022 तक की अवधि (2019–20 को छोड़कर) का विशेष अंकेक्षण कराया गया। विद्युत

आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर में विपत्रीकरण का कार्य NIC Software द्वारा संपादित किया जा रहा है । विपत्र चक्र की जाँच से यह स्पष्ट हुआ है कि श्री अभिषेक कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर द्वारा उनके User ID एवं Password के माध्यम से बेतरतीब एवं मनमानेपूर्ण तरीके से उपभोक्ता के विद्युत विपत्र में राशि समायोजित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक खाते की जाँच में पाया गया कि विद्युत विपत्रों के समायोजनों में कंपनी के नियमों की अनदेखी की गई है जिससे कंपनी को विपत्र सुधार के मद में करोड़ो की राजस्व हानि की पुष्टि हुई है। राजस्व हानि की वर्षवार विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	अवधि	उपभोक्ताओं की संख्या	अनुचित समायोजि राशि
1	01.04.18 से 31.03.2019	216	18,06,761 / –
2	01.04.2020 से 31.03.2021	4001	2,77,42,558 / –
3	01.04.2021 से 31.03.2022	3587	2,67,15,220 / –
4	01.04.2022 से 23.05.2022	241	20,71,291 / –
		कुल राशि	5,83,35,830 / –

विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर में उपभोक्ताओं के विद्युत विपत्र में किए गए उक्त अनुचित समायोजन संबंधित दस्तावेज / संचिका सहायक विद्युत अभियंता द्वारा कार्यालय में संधारित नहीं किया गया।

श्री कुमार, सहायक विद्युत अभियंता के रूप में अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने User ID एवं Passward के उपयोग द्वारा मनमाने तरीके से उपभोक्ताओं के विद्युत विपत्र में अनुचित समायोजन कर उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। उनके भ्रष्ट आचरण के कारण कंपनी की वित्तीय वर्ष 2018–19 से दिनांक 23.05.2022 तक की अवधि (2019–20 को छोड़कर) में रू0 5,83,35,830 / – की राजस्व क्षति हुई है।

(3) विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर में संधारित रोकड़बही का अंकेक्षण माह जुलाई 2018 से मार्च 2024 तक का किया गया। रोकड़बही अंकेक्षण क्रम में यह पाया गया कि Billing Agency M / S Mega Caliber द्वारा V–Wallet के माध्यम से समाहरित राजस्व से संबंधित दैनिक संग्रह पंजी (DCR) जो सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर द्वारा ही Download किया जाना था, वह रोकड़पाल को उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण M / S Mega Caliber द्वारा V–Wallet के माध्यम से समाहरित राजस्व की प्रविष्टि रोकड़बही में तो की गई, परन्तु दैनिक संग्रह पंजी (DCR) से मिलान नहीं किया जा सका। DCR के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में V–Wallet Report के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि उक्त अवधि में श्री अभिषेक कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर द्वारा कुल रू0 9,66,63,216 / – के V–Wallet के माध्यम से राजस्व समाहरण को सत्यापित किया गया था।

सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर द्वारा संचालित Revolving Account No–50456570048 में Billing Agency M / S Mega Caliber द्वारा दिनांक 01.03.2018 से

Arjun Singh

31.03.2020 तक विभिन्न तिथियों को कुल रू0 9,47,24,929/– जमा किया गया, जो विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर के खाता में स्थानांतरित किया गया। जबकि श्री कुमार, सहायक विद्युत अभियंता द्वारा कुल रू0 9,66,63,216/– के राजस्व समाहरण का सत्यापन किया गया था। इस तरह समाहरित राजस्व राशि रू0 19,38,289/– का राजस्व गबन हुआ है।

कंपनी मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार Revolving fund Account से संबंधित राजस्व राशि की अनियमितता या गबन के लिए सहायक विद्युत अभियंता (आपूर्ति) एवं कनीय विद्युत अभियंता (राजस्व) संयुक्त रूप से दोषी हैं।

जोड़क आरोप–

विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर में संधारित रोकड़ बही का अंकेक्षण माह जलाई 2018 से मार्च 2024 तक किया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–04/2024–25 में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर अन्तर्गत V-wallet द्वारा समाहरित राजस्व राशि रू0 19,38,289/– (रूपया उन्नीस लाख अड़तीस हजार दो सौ नवासी) की राजस्व हानि प्रतिवेदित की गयी थी।

कालांतर में V-wallet द्वारा समाहरित राजस्व की जाँच के दायरे में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, नवगछिया को शामिल किया गया तथा संबंधित आँकड़े SCADA कंपनी मुख्यालय, पटना से प्राप्त किए गए। SCADA से प्राप्त आँकड़े पूर्व के आँकड़ों से भिन्न थे। जिसके अनुसार विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर में M/S Mega Caliber द्वारा दिनांक 28.05.2018 से दिनांक 31.01.2020 तक V-wallet के माध्यम में कुल रू0 9,72,02,555/–(रूपया नौ करोड़ बहत्तर लाख दो हजार पाँच सौ पचपन) का राजस्व समाहरण किया गया। जिसमें से रोकड़बही के अनुसार कुल रूपया 9,47,24,929/– (रूपया नौ करोड़ सैंतालिस लाख चौबीस हजार नौ सौ उनतीस) कंपनी के बैंक खाता में जमा कराई गई। इस तरह समाहरित राजस्व राशि रूपया 24,77,626/– (रूपया चौबीस लाख सतहत्तर हजार छह सौ छब्बीस) का राजस्व गबन हुआ।

गठित प्रपत्र "क" के क्रम संख्या– 3 में वर्णित आरोप में रूपया 19,38,289/– (उन्नीस लाख अड़तीस हजार दो सौ नवासी) की राजस्व हानि बढ़कर रूपया 24,77,626/– (चौबीस लाख सतहत्तर हजार छह सौ छब्बीस) की राजस्व हानि हुई है।

जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही की जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर पत्रांक–118 दिनांक 23.07.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा श्री अभिषेक कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोप संख्या 01 एवं 02 को आंशिक प्रमाणित आरोप संख्या 03 एवं जोड़क आरोप को अप्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा उपलब्ध अभिलेखों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर की गई। समीक्षोपरान्त जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए सभी प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री कुमार से कंपनी के सं0सं0 880 दिनांक 13.10.2025 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया।

श्री कुमार द्वारा पत्रांक 732 दिनांक 17.10.2025 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

Arjun Singh

श्री कुमार द्वारा समर्पित दोनों विभागीय कार्यवाही में पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा के जवाबों एवं उपलब्ध अभिलेखों के समेकित रूप से सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार द्वारा सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर के पदस्थापन अवधि वर्ष 2018 से 2022 तक 11000 से भी अत्यधिक उपभोक्ताओं को अनुचित समायोजन बिना कोई दस्तावेज के आधार पर करके लगभग कंपनी के राजस्व का 09 करोड़ रूपये की क्षति पहुँचाई गई। इनके द्वारा मनमानेपूर्ण तरीके से बिना कोई वैध दस्तावेज के ही उपभोक्ताओं को अनुचित समायोजन देते हुए कंपनी को करोड़ों रूपये का नुकसान पहुँचाया गया।

इनके द्वारा जवाब में आरोप से बचते हुए मात्र उल्लेख किया गया है कि कनीय विद्युत अभियंता अभियंता (राजस्व) एवं रोकड़पाल का पद लंबे समय तक खाली था, जिसके कारण कार्यालय कार्य के अत्यधिक दवाब के कारण उक्त सुधार को अंजाम दिया गया। विपत्र सुधार एक Calculation Process है, इसमें किसी प्रकार की गलती है तो उसे जाँच कर भारित करने का प्रावधान है। श्री कुमार का जवाब अस्वीकारयोग्य है। 11 हजार से अत्यधिक उपभोक्ताओं का विपत्र बिना दस्तावेज के आधार पर सुधार किये जाने से स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा व्यक्तिगत लाभ हेतु करोड़ों रूपये का अनुचित समायोजन उपभोक्ताओं के विपत्र में देकर कंपनी को करोड़ों रूपये की राजस्व क्षति पहुँचाई गई है।

श्री कुमार द्वारा अपने जवाब में महज कुछ उपभोक्ताओं की सूची देते हुये यह तथ्य रखा गया है कि मेरे सुधार करने के बावजूद कालांतर में सुधार किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट हे कि मेरा सुधार सही था। उल्लेखनीय है कि श्री कुमार द्वारा 11,000 से भी अधिक उपभोक्ताओं का अनुचित विपत्र सुधार किया गया, जो बिना कोई दस्तावेज के आधार पर किये गये थे। महज कुछ उपभोक्ताओं के मामले में जवाब समर्पित कर उक्त आरोपों से नहीं बच सकते। श्री कुमार द्वारा अपने जवाब में यह भी उल्लेखित किया गया है कि उनके द्वारा किया गया सुधार जानकारी के अभाव में हुआ है, जो स्वीकारयोग्य नहीं है, मानवीय भूल/Calculation Mistake एक या दो या अल्प संख्या में हो सकती है, किन्तु बहुतायत में नहीं हो सकती। इनके द्वारा मनमाने पूर्ण ढ़ग से कंपनी के प्रावधानों का घोर उल्लंधन कर करोड़ो रूपये की राजस्व क्षति पहुँचाई गई है।

V-wallet के माध्यम से संग्रहित राजस्व राशि कंपनी के खाते में जमा नहीं करने के संबंध में श्री कुमार, सहायक विद्युत अभियंता द्वारा जवाब में मात्र समर्पित किया गया है कि प्रमंडल स्तर पर पदस्थपित अभियंताओं/पदाधिकारियों के उचित अनुश्रवण नहीं किये जाने के कारण उक्त गबन का मामला घटित हुआ। श्री कुमार का उक्त जवाब स्वीकारयोग्य नहीं है। सहायक विद्युत अभियंता की जिम्मेवारी है कि V-wallet के माध्यम से संग्रहित राजस्व राशि को बैंक खाते में प्रतिदिन जमा कराया जाय। साथ ही श्री कुमार द्वारा पूर्व के अपने लिखित प्रतिवेदनो में इस बात का उल्लेख किया गया था कि उनके द्वारा विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, नवगछिया को वसूली गई राजस्व की राशि उपलब्ध करायी गई थी। इस सूचना की पुष्टि हेतु विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, नवगछिया में V—Wallet द्वारा संधारित राजस्व का विशेष अंकेक्षण भी संपादित कराते हुए अंकेक्षण

Arjun Singh

प्रतिवेदन संख्या 09/2024–25 निर्गत की जा चुकी है । इस जाँच में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर द्वारा समाहरित राजस्व की राशि विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, नवगछिया को उपलब्ध कराये जाने की पुष्टि नहीं हुई ।

इसके अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, नवगछिया का प्रमंडल गठन की तिथि (वित्तीय वर्ष 2018–19) से लेकर वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि का सामान्य अंकेक्षण भी संपादित कराते हुए अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 10/2024–25 निर्गत किया जा चुका है। इस क्रम में भी ऐसी कोई दैनिक संग्रह पंजी अंकेक्षण के संज्ञान में नहीं आई जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर के अन्तर्गत V-Wallet के माध्यम से समाहरित राजस्व की राशि विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, नवगछिया को उपलब्ध करायी गई।

इस प्रकार श्री कुमार के द्वारा कंपनी का कुल 24,77,626/– रूपये का स्थायी गबन किया गया। श्री अभिषेक कुमार, सहायक विद्युत अभियंता का जवाब स्वीकारयोग्य नहीं है एवं श्री कुमार उक्त अनुचित समायोजन एवं V-Wallet से गबन के लिए दोषी हैं।

अतः उपर्युक्त आधार पर श्री कुमार के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाहियों के आलोक में पूछे गये दोनों द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को असंतोषप्रद/अस्वीकारयोग्य पाते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री अभिषेक कुमार, तदेन सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर सम्प्रति सहायक कार्यपालक अभियंता, लाईन अनुरक्षण, संचरण प्रमंडल, भागलपुर को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है:–

(i) तीन वार्षिक वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ii) V-wallet से रू0 24,77,626/– (चौबीस लाख सतहत्तर हजार छः सौ छब्बीस रूपये) के गबन की राशि की वसूली।

(iii) निलंबन अवधि दिनांक 13.10.2022 से 01.12.2022 में जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इसकी गणना सेवोत्तर लाभों के लिए की जायेगी।

तदनुसार श्री अभिषेक कुमार, तदेन सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर सम्प्रति सहायक कार्यपालक अभियंता, लाईन अनुरक्षण, संचरण प्रमंडल, भागलपुर को निम्न दण्ड दिया जाता है :–

(i) तीन वार्षिक वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक ।

(ii) V-wallet से रू0 24,77,626/– (चौबीस लाख सतहत्तर हजार छः सौ छब्बीस रूपये) के गबन की राशि की वसूली।

(iii) निलंबन अवधि दिनांक 13.10.2022 से 01.12.2022 में जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इसकी गणना सेवोत्तर लाभों के लिए की जायेगी।

Arjun Singh

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत संकल्प की प्रति श्री अभिषेक कुमार, तदेन सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर सम्प्रति सहायक कार्यपालक अभियंता, लाईन अनुरक्षण, संचरण प्रमंडल, भागलपुर को उपलब्ध करा दी जाय।

सक्षम प्राधिकार के आदेश से,

ह0/–

(शत्रुघ्न कुमार सुमन)

अवर सचिव

ज्ञापांक....................../ दिनांक....................../

निबंधित

प्रतिलिपि– श्री अभिषेक कुमार, सहायक कार्यपालक अभियंता, लाईन अनुरक्षण, संचरण प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(शत्रुघ्न कुमार सुमन)

अवर सचिव

ज्ञापांक...335.../ दिनांक...27/04/26.../

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, पेसू क्षेत्र, पटना/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/महाप्रबंधक (राजस्व), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना /उपमहाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता, सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी (लेखा), सभी विद्युत आपूर्ति अंचल/विद्युत कार्यपालक अभियंता, सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल/सभी उपमहाप्रबंधक/सभी उप सचिव/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी अवर सचिव/ डी0बी0ए0 (आई0टी0)/लेखा पदाधिकारी (स्थापना/वेतन पर्ची)/ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–I, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डी0बी0ए0, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना से अनुरोध है कि इस आदेश की प्रति कम्पनी के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

24/4/26

(शत्रुघ्न कुमार सुमन)

अवर सचिव

Illuminating lives...

Email ID- md.sbpdcl@gmail.com; Ph. No. 0612-2504045; Fax No. 0612-2504532.